न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या वादपत्र -07/2020

अनवान

1. लक्ष्मीनारायण पिता नन्दलाल मीणा उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी ग्राम जावराखुर्द तह रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. जीवनराम पिता नन्दलाल मीणा उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी ग्राम जावराखुर्द तह रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. श्रीमती केशी बाई पत्नी नन्दलाल मीणा पेशा काश्त निवासी ग्राम जावराखुर्द तह रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

वादीगण

बनाम

1. चतुर्भुज पिता उदा मीणा उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी ग्राम जावराखुर्द तह रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. छोटूलाल पिता उदा मीणा उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी ग्राम जावराखुर्द तह रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195

उपस्थित - 1. श्री लालचन्द प्रजापत अभिभाषक वादीगण
2. श्री आजाद हुसैन अभिभाषक प्रतिवादीगण 1 व 2
3. पेरोकार सरकार ।

निर्णय

दिनांक - 25.04.2022

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दिनांक 03.10.2019 वादीगणों द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 जा.दी. में पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण के खातेदारी हक एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम जावराखुर्द. प.ह. बाडौलिया, तह रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होकर संवत् 2050–53 की जमाबन्दी की खाता संख्या 84 की खसरा संख्या 42/38 रकबा 1.36 हैक्टेयर व खसरा संख्या 73/1 रकबा 1.59 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर दर्ज होकर खाते में मांगीलाल, लक्ष्मण, जीवनलाल पिता नन्दलाल मु केशीबाई बेवा नन्दलाल मीणा खाते दर्ज होकर बाद में मांगीलाल का नाम जरिये आदेश नामा.स. 527 विरासत 23/04/2005 को हटाया गया तथा वादीगणों का नाम लक्ष्मण, जीवनलाल पिता नन्दलाल के स्थान पर लक्ष्मीनारायण जीवनराम व श्रीमति केशी बेवा नन्दलाल के स्थान पर श्रीमति केशी धर्मपत्नि स्व नन्दलाल मीणा जरिये आदेश दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जो नवीन जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

संवत् 2072–2075 की खाता संख्या 142 खसरा संख्या 280 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा संख्या 208 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा संख्या 335 रकबा 0.05 हैक्टे, खसरा संख्या 337 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा संख्या 338 रकबा 0.60 हेक्टे. कुल किता 05 कुल रकबा 2.26 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड स्थित है। सेटलमेन्ट के दौरान भू प्रबंधन अधिकारीयों द्वारा पेमाईश की जिसमें भू प्रबंधन अधिकारीयो द्वारा उक्त वादीगणो की आराजीगात को नापने के दौरान कोई बुन्दी नही पिटवाई ना वादीगणों को कोई सुचना करवाई इस प्रकार भू प्रबंधन अधिकारीयो द्वारा बिना सुचना कराए वादीगणों के खाता संख्या 84 की खसरा संख्या 42/38 रकबा 1.36 हैक्टेयर व खसरा संख्या 73/1 रकबा 1.59 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 0.69 रकबा आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 02 के नाम दर्ज रिकार्ड कर जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 334 रकबा 1.38 हेक्टेयर खसरा संख्या 336 रकबा 0.08 है0 में दर्ज दिया जबकि उक्त आरजी पर वादीगण वंशानुगत रूप से काबीज होकर काश्त कर रहे है तथा कब्जे काश्त आराजी है, जिससे उक्त आराजी दुरुस्त कर पुर्वाअनुसार खाते दर्ज रिकार्ड की जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादीगणों की कब्जे काश्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है जिससे वादीगणों की कम हुई आराजी को प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खाते की खसरा सं 334, 336 के रकबे में पुर्ति कराये जाने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। भू–प्रबंधन अधिकारीयो ने वादीगणों की आराजी को बिना सुचना कराए ही दिया है। जिससे वादीगणों के खाते की आराजी कम होगई जिससे वादीगणो अपुर्णिय क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति असम्भव है, जिससे वादीगणों की आराजी पुर्वाअनुसार खाते दर्ज रिकार्ड किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 30.09.2019 को जब उक्त कब्जे काश्त आराजी पर प्रतिवादी 1 व 02 द्वारा अवैध कब्जा करने की नियत से अवैध धमकियां देने से तथा वादीगण के खाते की आराजी का रकबा कम कर प्रतिवादी 1 व 02 के नाम दर्ज होने की जानकारी मौजा पटवारी व तहसील से नकले लेने से प्रारम्भ होकर आराजी दुरुस्त नहीं होने से हर रोज उत्पन्न हो रहा है। यह कि प्रतिवादी क्र 03 भुमिधारी श्रीमान तहसीलदार रावतभाटा को राज्य सरकार के प्रतिनिधी होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है। अन्त में वादीगण की जमाबन्दी सम्वत 2050–52 खाता संख्या 84 की खसरा संख्या 42/38 रकबा 1.36 हैक्टेयर व खसरा संख्या 73/1 रकबा 1.59 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 0.69 हैक्टेयर रकबा कम हुई आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 02 के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 334 रकबा 1.38 हैक्टे व खसरा संख्या 336 रकबा 0.08 हैक्टेयर से पूर्ति कर पुर्वाअनुसार दुरूस्त कर उक्त आराजी को वादीगणों के नवीन खाता संख्या 142 में वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड कर खातेदारी की घोषणा कर उसी अनुसार नक्षे में तरमीम की जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वाद पत्र मे दिनांक 17.02.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण के खाते में सम्वत 2050–2053 की जमाबन्दी में खसरा संख्या 27/2 रकबा 1.86 है0 और खसरा संख्या 42/2 रकबा 1.69 है0 कुल किता 02 रकबा 3.15 है0 दर्ज रिकार्ड थी और प्रतिवादीगण के कब्जे में नवीन सेटलमेन्ट के बाद भी 3.15 है0 की कब्जे में चली आ रही है, रिकार्ड में

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

सेटलमेन्ट की गलती से 3.15 के बजाय 3.47 है0 दर्ज हो गई जिसको दूरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है एवं मौके पर फरिकेन के बीच कब्जे के संबंध में कोई विवाद नही है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने वादपत्र पर उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2050–52 खाता संख्या 84 की खसरा संख्या 42/38 रकबा 1.36 हैक्टेयर व खसरा संख्या 73/1 रकबा 1.59 कुल किता 02 कुल रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 0.69 हैक्टेयर रकबा कम हुई आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 02 के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 के खाता संख्या 31 के खसरा संख्या 334 रकबा 1.38 हैक्टे व खसरा संख्या 336 रकबा 0.08 हैक्टेयर से पूर्ति कर पुर्वाअनुसार दुरूस्त कर वादीगणों के नवीन खाता संख्या 142 में वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड कर खातेदारी की घोषणा कर उसी अनुसार नक्शें में तरमीम वादी का वाद स्वीकार कर वाद डिक्री करने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादी ने बहस में जवाब दावा के तथ्यों को दोहरातें हुए एवं दिनांक 06.04.2022 को न्यायालय में बहस के दौरान तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में संशोधन किए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की एवं लिखित सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 16.03.2022 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किया । तहसीलदार रावतभाटा अनुसार गत भू–प्रबन्ध की जमाबन्दी संख्या 2054–57 खाता संख्या 92 के अनुसार जीवनराम, लक्ष्मीनारायण पिता नन्दलाल वगैरह के नाम अन्य आराजीयात के साथ खसरा संख्या 42/36 रकबा 1.36 है0 भूमि खातेदारी से दर्ज थी नवीन भू–प्रबन्ध से प्राप्त रिकार्ड अनुसार नवीन खसरा संख्या 335,337, व 338 रकबा 0.05, 0.01 व 0.60 है0 कुल किता 3 रकबा 0.66 है0 दर्ज किया गया । इस प्रकार वादी का गत भू–प्रबन्ध के मुताबिक नवीन भू–प्रबन्ध में 0.70 है0 रकबा कम कर दिया गया। वादीगण मौके पर आराजी संख्या 335, 337, 338 व 334 में रकबा 0.05, 0.01, 0.60 एवं 0.70 है0 कुल किता 4 रकबा 1.36 है0 गत भू–प्रबन्ध के रकबा अनुसार काबिज है। परन्तु प्रतिवादी चतरभुज, छोटूलाल पिता उदा जाति मीणा आराजी संख्या 334 रकबा 0.70 है0 दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी के खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 334 के कुल रकबा 1.38 है0 में से 0.70 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज करने मे कोई आपत्ति जाहिर नही कर सहमति जताई।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, वकील वादी व प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। प्रतिवादी की ओर से इकबालए जवाब व किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से एवं तहसीलदार रावतभाटा के जवाब अनुसार वाद पत्र के संबंध में वादीगण के खातेदारी में सेटलमेन्ट के दौरान नवीन भू–प्रबन्ध में 0.69 है0 भूमि कम होना जाहिर होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल में भी पुराने नम्बरों से बने नये नम्बरों में वादी का कुछ रकबा प्रतिवादी के नये नम्बरों में अधिक जाना मिलान होता है। वकील प्रतिवादी द्वारा पुराने नम्बरों से बने नये नम्बरों में आयी अधिक रकबे को पटवारी व तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति जाहिर नही कर लिखित सहमति जताई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

पर वादीगण का वाद प्रमाणित होने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वादपत्र अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया की आराजी संख्या 42/38 रकबा 1.36 हैक्टर व खसरा संख्या 73/1 रकबा 1.59 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 2.95 हैक्टर मे से 0.69 हैक्टर रकबा कम हुई भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी नम्बर 334 से रकबा 0.69 हैक्टर कम कर भूमि वादीगण के नाम पर घोषित किये जाने आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Scanned with CamScanner